डाइस नं० ... रस नं०

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात

क – / जू0 हा0 स्कूल मान्यता / 3311-15 / 2018 – 19 दिनांक 28-6-18

धक,
के0 एस0 बी0 डी0 वर्ल्ड स्कूल
खनापुर निनाया विकास खण्ड सरवनखेड़ा कानपुर देहात।
रा संचालित संस्था – स्व0 कंचन देवी भूली देवी शिक्षा प्रसार समिति ग्रा0 भिखनापुर पो0 निनाया कानपुर देहात।
षय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का धिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

ोदय,
शासनादेश सं0 – 419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08–05–2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में अंग्रेजी माध्यम से च्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार तथा अधिकारी के रीक्षणोपरान्त उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 20.06.2018 को लिये गये निर्णय के धार पर के0 एस0 बी0 डी0 वर्ल्ड स्कूल भिखनापुर निनाया विकास खण्ड सरवनखेड़ा कानपुर देहात को 2018–19 से तीन शैक्षिक सत्र हेतु कक्षा से कक्षा 8 तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हू। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन

-
- विद्यालय का संचालन अग्निशमन का पूर्णता प्रमाण पत्र / स्थायी प्रमाण पत्र एवं वार्षिक नवीनीकरण प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये न्यथा असुरक्षित भवन का उपयोग विद्यालय संचालन हेतु अवैधानिक होगा।
- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/ संबधन करने के लिये कोई बाध्यता नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार धिनियम 2009 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय प्रारम्भिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश दान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- पैरा– 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा –12 की उप धारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। सी प्रतिभूतियां प्रप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- सोसाइटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा, और किसी किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा –15 के पबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे द्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं करेगा।
उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
• अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त/ विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ।
अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान ध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
i अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
i अध्यापक स्वयं किसी को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
– विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं–

क्रम सं0	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधायें	विवरण
	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	~~34280 वर्ग मी0~~ 8200.00 वर्गमी0
	कुल निर्मित क्षेत्र	~~1389.54 वर्ग मी0~~ 2658.00 वर्गमी0
	क्रीडास्थल का क्षेत्रफल	–
	कक्षाओं की संख्या	10
	प्राध्यापक – सह कार्यालय– सह भण्डारगार के लिये कक्ष	03
	बालक / बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	8/7
	पेयजल सुविधा	समर्सिबल [illegible]

R. K. Singh

Scanned with Oken Scanner

10– विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी ।

11– विद्यालय भवनो या सरचनाओ या कीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

12– विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 क 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधी के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

13– स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

14– विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संप्रीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

15– आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड सख्यांक जू0हा0 स्कूल/ अंग्रेजी माध्यम/2018–19__________ है कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस सख्याक का उल्लेख करें ।

16 - विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के लिए अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

17– सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

18– सलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

19– विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षको से ही कराया जाय, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबन्ध तन्त्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वय जिम्मेदार होंगे।

(संगीता सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात।

पृ0सं0/जू0हा0स्कूल0मान्यता/ 3311-15 /2018–19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नाँकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– शिक्षा निदेशक (बे0)उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
2– सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0) कानपुर मण्डल कानपुर।
4– जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
5– अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
6– पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
7– संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात।
8– कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात।

Scanned with Oken Scanner